

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, (एस.डी.ओ) बाड़मेर

पीठारीन अधिकारी-श्री नीरज मिश्र, आर.ए.एस

दिनांक - 30/07/19

क्रमांक शीडर/2019/14/2

प्रार्थी
1 देराजराम पुत्र
शिवजीराम जाति
जाट निवासी
शिवकर तहसील
व जिला बाड़मेर।
प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128,111 राजस्थान मू-राजस्थान अधिनियम, करने नेखमवन्दी बाबत
राजस्थान आवेदन संख्या :- 255/2019

बनाम

अप्रार्थीगण
1 कलाराम पुत्र देवाराम 2 कीड़ी पत्नी देवाराम 3 पांची पत्नी
देवाराम 4 केशराराम पुत्र पूराराम 5 मूलीदेवी पत्नी आम्बाराम 6
छगनलाल 7 लाभूराम 8 भंवराराम 9 चमनलाल पिसरान आम्बाराम
जाति माली 10 केशाराम 11 पोकरराम पिसरान शिवजीराम जाति
जाट निवासी शिवकर तहसील व जिला बाड़मेर।
दिनांक- 24/07/19

आदेश

उपर्युक्त, प्रकरण मौजा शिवकर पटवार क्षेत्र शिवकर तहसील व जिला बाड़मेर के खसरा संख्या 1111/100 रकबा 08.04 बीघा, खसरा संख्या 1112/100 रकबा 0.12 बीघा कुल रकबा 08.16 बीघा भूमि के चारों तरफ पक्के नेखम स्थापित करते हुए नेखमवन्दी करने हेतु तहसीलदार बाड़मेर को कमीश्नर नियुक्त किया जाता है। उक्त नेखमवन्दी कार्रवाई करने से पूर्व प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण को नोटिस/पत्र के जरिये सूचित करते हुए एक तिथि निश्चित (वर्षाकाल में खड़ी फसल पर सीमांकन व पत्थरगढी नही करने बाबत उपस्थिति में, नेखमवन्दी की जावे। कमीश्नर शुल्क रुपये 1500/- अक्षरे एक हजार पांच सौ रुपये) मात्र निर्धारित की जाती है, जो प्रार्थी द्वारा मौके पर अदा किया जावेगा।



(नीरज मिश्र)
उपखण्ड अधिकारी,
बाड़मेर

दिनांक-30/07/19

क्रमांक :- शीडर/2019/1013-14

प्रतिलिपि निर्मांकित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है :-

1. तहसीलदार बाड़मेर पालना प्रस्तुत करते वक्त पत्र पर निर्णय की तिथि अवश्य अंकित करें।
2. पटवारी शिवकर तहसील बाड़मेर को भेजकर लेख है कि निर्धारित तिथि को मय रेकॉर्ड उपस्थित रहकर नेखमवन्दी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. देराजराम पुत्र शिवजीराम जाति जाट निवासी शिवकर तहसील व जिला बाड़मेर।
4. विप्रार्थी कलाराम पुत्र देवाराम वगैरह जाति माली निवासी शिवकर तहसील व जिला बाड़मेर।

उपखण्ड अधिकारी,
बाड़मेर